Speed Post

Government of India
National Commission for Scheduled Tribes
(A Constitutional Commission set up under Art. 338A of the Constitution of India)

File No. PC/1/2017/MENV1/SEOTH/RU-IV Dated: 22.12.2017

To

(As per list attached)

Subject: Press clipping dated 12.04.2017 published in the Mint, Delhi edition caption "no forest rights for tribals in critical tiger habitats".

Sir/Madam ,

I am directed to refer to subject cited above and to say that the issue was discussed with the officers of National Tiger Conservation Authority in a meeting held on 04.07.2017 under the Chairmanship of Secretary, National Commission for Scheduled Tribes. Further, the issue for utilization of Compensatory Afforestation Fund (CAMPA) for voluntary relocation of Scheduled Tribes from Critical Wild Life Areas and Critical Tiger Habitats was discussed in the 98th meeting of the Commission held on 16.08.2017. In the meeting Commission decided to call a separate meeting to discuss the issue for utilization of CAMPA. A copy of the extract of the proceedings of 98th meeting of the Commission is enclosed.

2. In this context, National Commission for Scheduled Tribes has decided to hold a meeting under the Chairmanship of Shri Nand Kumar Sai, Hon'ble Chairperson, NCST on **02.01.2018 at 3.00 P.M., 6th Floor, 'B'Wing, Lok Nayak Bhawan, New Delhi-3.** to discuss the issue.

3. It is therefore, requested to make it convenient to attend the meeting as per schedule mentioned above. A line of confirmation may please be sent by return fax No. **24657474 or 24654826** to the Commission.

Yours faithfully,

D.S. Kumbhare 22/12/2017

9399-404
22/12/17

ISSUED

O/C

(D.S. Kumbhare)
Under Secretary to Government of India
PH No. 24657271

(contd..)

1. The Secretary,
Ministry of Environment
Forest and Climate Change,
Indira Paryavaran Bhavan,
Jorbagh Road,
New Delhi - 110 003

2. The Member Secretary,
National Tiger Conservation Authority
B-1 Wing, 7th Floor,
Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan,
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi - 110003

3. The Commissioner cum Secretary,
SC/ST Development Department,
Government of Odisha,
Bhubaneswar

4. The Principal Secretary,
Tribal Development Department,
Government of Maharashtra,
Mantralaya,
Mumbai – 32.

5. The Principal Secretary,
Tribal Development Department,
Government of Madhya Pradesh,
Bhopal.

6. The Principal Secretary,
Social Welfare Department,
Government of Karnataka,
Vikasa Soudha,
Bengaluru.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी) की 98वीं बैठक में हुई चर्चा का कार्यवृत्त।

(फाईल सं. 1/7/2017–समन्वय)

दिनांक : 16.8.2017 समय : 15.00 बजे

स्थान : सम्मलेन कक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, छठा तल, लोकनायक भवन, नई दिल्ली–110003

अध्यक्षता : श्री नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष।

प्रतिभागियों की सूची :

1. सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष
2. श्री हरि कृष्ण डामोर, सदस्य
3. श्री हर्षदभाई चुनीलाल वसावा, सदस्य
4. श्रीमती माया चिंतामण ईवनाते, सदस्य
5. श्री राघव चंद्रा, सचिव
6. श्री एस.के. रथ, संयुक्त सचिव
7. श्रीमती के.डी. बंसौर, निदेशक
8. श्री पी.टी. जेम्सकुट्टी, उप सचिव
9. श्री डी.एस. कुंभारे, अवर सचिव
10. श्री एस.पी. मीना, सहायक निदेशक
11. श्री राजेश्वर कुमार, सहायक निदेशक

बैठक के लिए निर्धारित कार्यसूची मदों पर चर्चा की गई और निम्नलिखित निर्णय लिए गए–

कार्य सूची मद सख्या. 1	प्रेस कतरन समाचार पत्र मिन्ट, दिल्ली संस्करण दिनांक 12.4.2017 मे प्रकाशित शीर्षक "महत्वपूर्ण बाघ आवासों में आदिवासियों के लिए कोई वन अधिकार नहीं"।
Agenda Item No. 1	Press Clipping dated 12.4.2017 published in the Mint, Delhi edition under the caption "No forest rights for tribals in critical tiger habitats"

(PC/1/2017/MENV1/SEOTH/RU-IV)

1.1 प्रेस कतरन समाचार पत्र मिन्ट, दिल्ली संस्करण दिनांक 12.4.2017 मे प्रकाशित शीर्षक "महत्वपूर्ण बाघ आवासों में आदिवासियों के लिए कोई वन अधिकार नहीं" पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संज्ञान लिया। तदनुसार, आयोग ने पत्र संख्या पीसी/1/2017/एमईएनवी 1/सीओटीएच/आरयू–4 दिनांक 17.5.2017 द्वारा राष्ट्रीय बाघ सरंक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मत्रांलय से जानकारी मांगी। तदोपरांत, सचिव, राष्ट्रीय

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

अनुसूचित जनजाति आयोग ने, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के पत्र सं0 1–7/93–पीटी(खंड।) दिनांक 28.03.2017, जो कि बाघ रेंज के राज्यों के मुख्य वन्य जीव वार्डनों को अनिवार्य/महत्वपूर्ण बाघ आवासों में अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पारम्परिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (जिसे यहां पर बाद में एफआरए के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के अंतर्गत अधिकार देने से विरत रहने की सलाह देता है, के संदर्भ में दिनांक 04.07.2017 को बैठक की । बैठक का मसौदा कार्यवृत्त संलग्न है। बैठक में चर्चित बिंदु निम्न है:–

(क) 10 लाख रूपए प्रति परिवार अपर्याप्त है और इसे कम से कम 20 लाख रूपए प्रति परिवार बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। उल्लेख किया गया कि भारत सरकार के पास रखी हुई कैम्पा (क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण); [CAMPA] निधियां अनिवार्य/महत्वपूर्ण बाघ आवासों से अनुसूचित जनजातियो को पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य के लिए उपयोग में लायी जानी चाहिए। एनटीसीए पैकेज का वर्तमान विकल्प–। जो केवल नकद क्षतिपूर्ति का प्रावधान करता है, उसका उपयोग केवल तभी किया जाए यदि लोग स्वैच्छिक रूप से इसका चुनाव करते हैं।

(ख) संरक्षित क्षेत्रों एवं बाघ अभ्यारण्यों के अनुसूचित जनजातियो के लोगों के पुनर्स्थापन की स्थिति में प्रत्येक अनुसूचित जनजाति के परिवार को संरक्षित क्षेत्र या बाघ अभ्यारण्यों से सटे हुए क्षेत्र में 4 हेक्टेयर या अनुसूचित जनजाति के द्वारा वास्तविक कब्जा के अधीन क्षेत्र तक, जो कि कम हो, वैसी ही जमीन उपलब्ध करवायी जानी चाहिए। यदि समान प्रकार की जमीन उपलब्ध न हो, तो संरक्षित क्षेत्रों और बाघ अभ्यारण्यों से अनुसूचित जनजाति के पुनर्स्थापन/पुनर्वास के लिए वास्तविक कब्जे के क्षेत्र का दोगुना या 8 हेक्टेयर जो भी कम हो उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। पुनर्स्थापन/पुनर्वास की सम्पूर्ण लागत कैम्पा से उद्भूत की जानी चाहिए।

(ग) नकद क्षतिपूर्ति या पुनर्स्थापन/पुनर्वास संपूर्ण प्रकिया तीन वर्षों की अवधि के भीतर पूरी की जानी चाहिए, इसमें असफल रहने की स्थिति में तुरन्त वन अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए।

(घ) किसी भी वन निवासी अनुसूचित जनजाति सदस्य को उसके कब्जे के अधीन वन भूमि से रिक्त कराया या हटाया नहीं जाना चाहिए जब तक कि वन निवासी आदिवासी सदस्य को वैकल्पिक भूमि की मान्यता एवं अन्तरण पूर्ण नहीं हो जाता।

1.2 **उपरोक्त प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श के उपरांत, आयोग ने निर्णय लिया कि उपरोक्त बिन्दुओं तथा प्रकरण पर राष्ट्रीय बाघ सरंक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मत्रांलय की एक बैठक की जाए।**

[After detailed discussion on the matter, Commission decided to call a meeting of National Tiger Conservation Authority (NTCA) and Ministry of Environment, Forest and Climate Changes on the above points and matter.]

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi